LATEST NEWS

Election

Date : 7th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

घुमंतु मतदाताओं को क्लस्टर कैंप की जानकारी देने घर पहुंचे ईएलसी सदस्य

मनिया| विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिले के मतदाताओं के शत प्रतिशत नामांकन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मंगलवार को घुमंतू और खानाबदोश परिवारों के मतदाताओं के नामांकन का लक्ष्य रखा गया। कोटपुरा ग्राम पंचायत में अस्थाई रूप से रहने आए खानाबदोश परिवारों में नट जाति के भूरा, घूरेलाल, राहुल के परिवार के सदस्यों को क्लस्टर कैंप और एसआईआर की जानकारी देने के लिए कोटपुरा स्कूल के ईएलसी सदस्य प्रधानाचार्य अतुल चौहान के साथ उनके अस्थाई निवास पर पहुंचे और उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपने नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु लगाए जा रहे विशेष क्लस्टर कैंप की जानकारी दी।प्रधानाचार्य चौहान ने बताया कि शिक्षक श्रीगोविंद और अतवीर सिंह से ग्राम पंचायत में घुमंतू जाति के अस्थाई रूप से रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त होने पर ईएलसी सदस्यों को प्रेरित किया गया।जब ईएलसी सदस्य उनके परिवारजनों से मिले तो भूरा का परिवार उत्तर प्रदेश में जलेसर तथा घूरेलाल और राहुल की इसी जिले के सखवारा गांव के मूल निवासी होने की जानकारी मिली।

पीवीटीजी मतदाताओं के लिए क्लस्टर कैंप, बीदासर में सर्वाधिक 05 फॉर्म प्राप्त

हमारा गगन

चूरू। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित किए गए।

सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर देपालसर रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विशेष संपर्क अभियान चलाया गया और पात्र लोगों को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में क्लस्टर कैंप के दौरान कुल 07 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिनमें से बीदासर में 05 तथा तारानगर व सुजानगढ़ से एक-एक फॉर्म प्राप्त हुए।

पीवीटीजी मतदाताओं के लिए क्लस्टर कैंप, बीदासर में सर्वाधिक 05 फॉर्म प्राप्त

जयपुर गुलाबी टाइम्स

चूरू (विद्याधर आजाद)। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित किए गए।

सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर देपालसर रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विशेष संपर्क अभियान चलाया गया और पात्र लोगों को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया।

उन्होंने बताया कि जिले में क्लस्टर कैंप के दौरान कुल 07 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिनमें से बीदासर में 05 तथा तारानगर व सुजानगढ़ से एक-एक फॉर्म प्राप्त हुए।

पीवीटीजी मतदाताओं के लिए क्लस्टर कैंप, बीदासर में सर्वाधिक 05 फॉर्म प्राप्त

चूरू,भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित किए गए।

सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर देपालसर रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विशेष संपर्क अभियान चलाया गया और पात्र लोगों को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया।

उन्होंने बताया कि जिले में क्लस्टर कैंप के दौरान कुल 07 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिनमें से बीदासर में 05 तथा तारानगर व सुजानगढ़ से एक—एक फॉर्म प्राप्त हुए।

पीवीटीजी मतदाताओं के लिए क्लस्टर कैंप, बीदासर में सर्वाधिक 05 फॉर्म प्राप्त

जनमानस शेखावाटी न्यूज़

चूरू/मोहम्मद अली पठान: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित किए गए। सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर देपालसर रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विशेष संपर्क अभियान चलाया गया और पात्र लोगों को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया।उन्होंने बताया कि जिले में क्लस्टर कैंप के दौरान कुल 07 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिनमें से बीदासर में 05 तथा तारानगर व सुजानगढ़ से एक-एक फॉर्म प्राप्त हुए।

पीवीटीजी मतदाताओं के लिए क्लस्टर कैम्प, बीदासर में सर्वाधिक 5 फॉर्म प्राप्त

चूरू (विराट वैभव)। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए कलस्टर कैंप आयोजित किए गए। सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर देपालसर रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विशेष संपर्क अभियान चलाया गया और पात्र लोगों को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में क्लस्टर कैंप के दौरान कुल 07 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 प्राप्त हुए, जिनमें से बीदासर में 05 तथा तारानगर व सुजानगढ़ से एक-एक फॉर्म प्राप्त हुए।

पत्रिका

24 साल पुरानी गलती सुधारने का मौका

मैपिंग से वंचित मतदाताओं की घर-घर पहचान

कोटपूतली में 3471 मतदाता सत्यापन से वंचित

31 जनवरी तक चलेगा अभियान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटपूतली. मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में निर्वाचन विभाग ने अब मैपिंग से वंचित रहे मतदाताओं की घर-घर जाकर पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। यह अभियान उन नागरिकों के लिए उम्मीद लेकर आया है, जिनके नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में तत्कालीन बीएलओ की गलती से दर्ज नहीं हो पाए थे।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कोटपूतली शहर में 3471 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी। कारण यह रहा कि परिगणना पत्रों के ऑनलाइन होने के बाद पाया गया कि इन नागरिकों के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं थे। विशेष रूप से भाग संख्या 91 और 92 में कई गलियों जिनमें पंजाबी वाली गली और बैंक वाली गली प्रमुख है। इस क्षेत्र के मतदाताओं के नाम सूची से बाहर रह गए थे। (नि.सं.)

बैंक वाली गली में पहचान का सत्यापन करते तहसीलदार व बीएलओ।

तहसीलदार ने घर पहुंचकर की सुनवाई

तहसीलदार रामधन गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत प्रभावित गलियों में स्वयं मौके पर पहुंचकर नागरिकों की सुनवाई की गई और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पहचान का सत्यापन किया गया। उन्होंने कहा कि मैपिंग से वंचित सभी शेष मतदाताओं का भी घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। जो मतदाता फिलहाल घर पर उपलब्ध नहीं हैं, वे 31 जनवरी तक तहसील कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ होकर सत्यापन करवा सकते हैं।

दस्तावेजों के अभाव में कई परिवार परेशान

सत्यापन अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि कई मतदाताओं के पास निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें पहचान साबित करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे मामलों में विभाग ने आश्वस्त किया है कि उच्च अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण से सुनवाई कर निर्णय लेंगे। हालांकि, स्थानीय स्तर पर यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि जिन नागरिकों के नाम लंबे समय तक मतदाता सूची में रहे हैं और अब किसी कारणवश मैपिंग नहीं हो रही है। उनके मामलों में तकनीकी के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने कलेक्ट्रेट में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक ली

एसआईआर-2026 कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

नमस्कार नेशन

बाड़मेर, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के अंतर्गत रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में ईआरओ एवं एईआरओ के रिक्त पदों की स्थिति, पदस्थापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। रोल ऑब्जर्वर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीएलओ की नियुक्ति से संबंधित बिंदुओं की जांच तथा बीएलओ को फोटो पहचान पत्र, किट बैग एवं नाम बोर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की संख्या एवं पात्रता, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फॉर्मों के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। मतदाता सूची के ड्राफ्ट की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने तथा प्रारूप सूची को सीईओ की वेबसाइट एवं ईआरओ नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में मतदाता जागरूकता गतिविधियों, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तथा युवाओं, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के मतदाताओं के नामांकन हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही शिकायत निवारण के लिए पीजीएमएस (PGMS) प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रोल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन, पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के लिए सभी कार्यवाही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि अगर उन्हें मतदाता सूचियों सहित एसआईआर कार्यक्रम के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वह सीधे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले दौरे के समय उनके साथ यहां बैठक भी की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने जिले में अभी तक एसआईआर कार्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर यशार्थ शेखर, प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार समेत निर्वाचन शाखा के संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने कलेक्ट्रेट में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक ली

एसआईआर-2026 कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

मरुमंच न्यूज

बाड़मेर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के अंतर्गत रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में ईआरओ एवं एईआरओ के रिक्त पदों की स्थिति, पदस्थापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। रोल ऑब्जर्वर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीएलओ की नियुक्ति से संबंधित बिंदुओं की जांच तथा बीएलओ को फोटो पहचान पत्र, किट बैग एवं नाम बोर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की संख्या एवं पात्रता, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फॉर्मों के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। मतदाता सूची के ड्राफ्ट की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने तथा प्रारूप सूची को सीईओ की वेबसाइट एवं ईआरओ नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मतदाता जागरूकता गतिविधियों, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तथा युवाओं, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के मतदाताओं के नामांकन हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही शिकायत निवारण के लिए पीजीएमएस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रोल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन, पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के लिए सभी कार्यवाही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि अगर उन्हें मतदाता सूचियों सहित एसआईआर कार्यक्रम के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वह सीधे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले दौरे के समय उनके साथ यहां बैठक भी की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने जिले में अभी तक एसआईआर कार्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर यशार्थ शेखर, प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार समेत निर्वाचन शाखा के संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने कलेक्ट्रेट में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक ली

एसआईआर–2026 कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर–2026) के अंतर्गत रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में ईआरओ एवं एईआरओ के रिक्त पदों की स्थिति, पदस्थापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। रोल ऑब्जर्वर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीएलओ की नियुक्ति से संबंधित बिंदुओं की जांच तथा बीएलओ को फोटो पहचान पत्र, किट बैग एवं नाम बोर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की संख्या एवं पात्रता, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फॉर्मों के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। मतदाता सूची के ड्राफ्ट की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने तथा प्रारूप सूची को सीईओ की वेबसाइट एवं ईआरओ नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मतदाता जागरूकता गतिविधियों, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार तथा युवाओं, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के मतदाताओं के नामांकन हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही शिकायत निवारण के लिए पीजीएमएस (क्लरूस) प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रोल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन, पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के लिए सभी कार्यवाही निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि अगर उन्हें मतदाता सूचियों सहित एसआईआर कार्यक्रम के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वह सीधे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले दौरे के समय उनके साथ यहां बैठक भी की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने जिले में अभी तक एसआईआर कार्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर यशार्थ शेखर, प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार समेत निर्वाचन शाखा के संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

रोल ऑब्जर्वर ने पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक ली

बाड़मेर / नवज्योति। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के अंतर्गत रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की।

बैठक में एवं ईआरओ के रिक्त पदों की स्थिति, पदस्थापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। रोल ऑब्जर्वर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीएलओ की नियुक्ति से संबंधित बिंदुओं की जांच तथा बीएलओ को फोटो पहचान पत्र, किट बैग एवं नाम बोर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ओर से नियुक्त बीएलए की संख्या एवं पात्रता, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फॉर्मों के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में मतदाता जागरूकता गतिविधियों, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तथा युवाओं, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के मतदाताओं के नामांकन हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही शिकायत निवारण के लिए पीजीएमएस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

रोल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन, पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के लिए सभी कार्यवाही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि अगर उन्हें मतदाता सूचियों सहित एसआईआर कार्यक्रम के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वह सीधे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले दौरे के समय उनके साथ यहां बैठक भी की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने जिले में अभी तक एसआईआर कार्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा

'प्रारूप सूची को वेबसाइट, नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करें'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बाड़मेर. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर-2026) की समीक्षा के लिए रोल ऑब्जर्वर नीरज के. पवन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।

बैठक में ईआरओ और एईआरओ के रिक्त पदों की स्थिति, पदस्थापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था और मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। रोल ऑब्जर्वर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीएलओ की नियुक्ति और उन्हें फोटो पहचान पत्र, किट बैग एवं नाम बोर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की संख्या एवं पात्रता, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फॉर्मों की स्थिति और मतदाता सूची के ड्राफ्ट की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। साथ ही प्रारूप सूची को सीईओ की वेबसाइट और ईआरओ नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। बैठक में मतदाता जागरूकता गतिविधियां, ऑनलाइन आवेदन सुविधा, प्रचार-प्रसार और युवाओं, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के मतदाताओं के नामांकन के प्रयासों की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान रोल ऑब्जर्वर निर्देश देते हुए।

शिकायत निवारण के लिए पीजीएमएस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। रोल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए सभी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि यदि उन्हें मतदाता सूची या एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने एसआईआर कार्यक्रम की वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। रोल ऑब्जर्वर ने जिले में चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपखण्ड अधिकारी यशार्थ शेखर, प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार और निर्वाचन शाखा के संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर

सिरोही-आबूरोड भास्कर 07-01-2026

राजनीतिक दलों की बैठक कल शाम 4 बजे से होगी

सिरोही | मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जानकारी एवं मतदाता सूचियों के संबंध में जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी कक्ष में 8 जनवरी शाम 4 बजे बैठक होगी। पहले सुबह 11 बजे होनी थी।

SIR को लेकर भाजपा मंडल कालंद्री की बैठक

भास्कर न्यूज़ | कालंद्री

सिरोही भाजपा ग्रामीण मंडल कालंद्री की बैठक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भाजपा की बैठक प्रजापत धर्मशाला कालंद्री में मंगलवार को आयोजित हुई। मंडल अध्यक्ष हिरेंद्रपालसिंह देवड़ा ने बैठक में बताया कि नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, युवाओं एवं स्थानांतरित मतदाताओं की मैपिंग तथा शुद्ध मतदाता सूची पर जोर दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने अभियान को समयबद्ध व प्रभावी रूप से पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हिरेंद्रपालसिंह रोड़ा, प्रज्ञा कुंवर देवड़ा, नाथु देवासी, पुरुषोत्तम भाई, अतीक भाई रावल, मोतीलाल पुरोहित व चौथाराम मेघवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मतदाताओं के पंजीकरण को लेकर क्लस्टर कैंप आयोजित

घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के नव मतदाता व ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कैंप आयोजित

बालोतरा/नवज्योति। बालोतरा जिले में मंगलवार को घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू नव मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि क्लस्टर कैंपों के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नव मतदाताओं के फॉर्म भरवाए, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई। घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के ऐसे युवक-युवतियां, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर मतदाता बनने का अवसर दिया गया। इसी क्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदाताओं के लिए भी अलग से सहयोग डेस्क स्थापित की गई, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक वातावरण में पंजीकरण, नाम सुधार, पता परिवर्तन एवं पंजीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होने बताया, ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। जिले में आयोजित इन क्लस्टर कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में पात्र नव मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता लाभान्वित हुए हैं। इससे आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के नव मतदाता एवं ट्रांसजेंडर मतदाताओं के पंजीकरण हेतु क्लस्टर कैंप आयोजित

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। बालोतरा जिले में मंगलवार को घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू नव मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि क्लस्टर कैंपों के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नव मतदाताओं के फॉर्म भरवाए, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई। घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के ऐसे युवक-युवतियां, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर मतदाता बनने का अवसर प्रदान किया गया। इसी क्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदाताओं के लिए भी अलग से सहयोग डेस्क स्थापित की गई, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक वातावरण में पंजीकरण, नाम सुधार, पता परिवर्तन एवं पंजीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होने बताया कि ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। जिले में आयोजित इन क्लस्टर कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में पात्र नव मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता लाभान्वित हुए हैं। इससे आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के नव मतदाता एवं ट्रांसजेंडर मतदाताओं के पंजीकरण हेतु क्लस्टर कैंप आयोजित

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। बालोतरा जिले में मंगलवार को घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु नव मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि क्लस्टर कैंपों के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नव मतदाताओं के फॉर्म भरवाए, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई। घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के ऐसे युवक-युवतियां, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर मतदाता बनने का अवसर प्रदान किया गया।

इसी क्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदाताओं के लिए भी अलग से सहयोग डेस्क स्थापित की गई, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक वातावरण में पंजीकरण, नाम सुधार, पता परिवर्तन एवं पंजीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

जिले में आयोजित इन क्लस्टर कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में पात्र नव मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता लाभान्वित हुए हैं। इससे आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

घुमंतु समुदायों के मतदाता पंजीकरण के लिए कलस्टर शिविर लगाए गए

भास्कर न्यूज | बालोतरा

बालोतरा. घुमंतु परिवारों को दिए गए फार्म।

बालोतरा जिले में मंगलवार को घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतू नव मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विशेष कलस्टर कैंप का आयोजन किया गया।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि क्लस्टर कैंपों के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नव मतदाताओं के फॉर्म भरवाए, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई। घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के ऐसे युवक-युवतियां, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर मतदाता बनने का अवसर प्रदान किया गया।

इसी तरह ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदाताओं के लिए भी अलग से सहयोग डेस्क स्थापित की गई, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक वातावरण में पंजीकरण, नाम सुधार, पता परिवर्तन एवं पंजीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर मतदाताओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

कलस्टर कैंप में मतदाताओं का किया पंजीकरण

जागरूक टाइम्स संवाददाता

पाली। निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर कलस्टर कैम्प का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विमलेन्द्रसिंह राणावत ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी के तहत मंगलवार को 18 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन, ट्रांसजेण्डर, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु, विशेष रूप से पिछड़े जनजातिय समूह वर्ग के लिए स्वीप गतिविधि के तहत कलस्टर कैम्प के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर ललित दवे, सुरेश व्यास, अनिल नामा, रमेश अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रमसिंह परिहार, राजेश सेन, लोकेश दवे, मनोज रांगी, आशीष चौधरी, पारसराम, अनिता पारीक समेत निर्वाचन से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।

कलस्टर कैम्प में मतदाताओ का किया पंजीकरण

(मरूनाद न्यूज) पाली 06 जनवरी। निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छुटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन क्षैत्र के सभी मतदान केन्द्रो पर कलस्टर कैम्प का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छुटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुड़ने से शेष वर्गो पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी के तहत मंगलवार को 18 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन,ट्रांसजेण्डर, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु, विशेष रूप से पिछडे जनजातिय समूह वर्ग के लिए स्वीप गतिविधि के तहत कलस्टर कैम्प के माध्यम से मतदाता सूची मे नाम जोडने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर ललित कुमार दवे, सुरेश व्यास, अनिल नामा, रमेश कुमार अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सैन, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, आशीष चौधरी, पारसराम, अनिता पारीक समेत निर्वाचन से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।

कलस्टर कैम्प में मतदाताओं का पंजीकरण

मरुलहर न्यूज

पाली। निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैम्पों का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार समाज के वंचित वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने तथा मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु समावेशी मतदाता पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता, महिला मतदाता, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु समुदाय तथा विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों के मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया गया। कलस्टर कैम्पों के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया संपादित की गई तथा उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

इस अवसर पर ललित कुमार दवे, सुरेश व्यास, अनिल नामा, रमेश कुमार अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सैन, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, आशीष चैधरी, पारसराम, अनिता पारिक सहित निर्वाचन से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे।

कलस्टर कैम्प में मतदाताओं का किया पंजीकरण

पाली@ पत्रिका. निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छुटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर कलस्टर कैम्प का आयोजन हुआ।

उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छुटे की संकल्पना के तहत मंगलवार को 18 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन, ट्रांसजेण्डर, घुमन्तू एवं अर्धघुमन्तू, विशेष पिछड़े जनजातिय समूह वर्ग के लिए स्वीप गतिविधि के तहत कलस्टर कैम्प के माध्यम से मतदाता सूची मे नाम जोडने के लिए प्रेरित किया।

इस मौके ललित कुमार दवे, सुरेश व्यास, अनिल नामा, रमेश कुमार अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सेन, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, आशीष चौधरी, पारसराम, अनिता पारीक समेत निर्वाचन से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।

कलस्टर कैम्प में मतदाताओं का पंजीकरण

नवज्योति/पाली। निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत "कोई भी पात्र मतदाता न छूटे" की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैम्पों का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने तथा मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए समावेशी मतदाता पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता, महिला मतदाता, दिव्यांगजन,

ट्रांसजेंडर, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु समुदाय तथा विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों के मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया गया। कलस्टर कैम्पों के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया संपादित की गई तथा उन्हें मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर ललित कुमार दवे, सुरेश व्यास, अनिल नामा, रमेश कुमार अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सैन, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, आशीष चैधरी, पारसराम, अनिता पारिक समेत निर्वाचन से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम : वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक 8 को

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे विविध कार्यो के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एनआईसी के वीसी कक्ष में 8 जनवरी को बैठक प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त ई.आर.ओ एवं ए.ई.आर.ओ को निर्देशित किया जाता है कि एजेण्डा अनुसार सूचना तैयार कर 7 जनवरी को प्रातः 12 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय पर एनआईसी वीसी कक्ष के बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

वीडियों क्रान्फ्रेस के माध्यम से बैठक 8 जनवरी को

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एनआईसी के वीसी कक्ष में 8 जनवरी को बैठक प्रातः 10.30 बजे आयोजित कि जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त ई.आर.ओ एवं ए.ई.आर.ओ को निर्देशित किया जाता है कि एजेण्डा अनुसार सूचना तैयार कर 7 जनवरी को प्रातः 12 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय पर एनआईसी वीसी कक्ष के बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक 8 जनवरी को

डूंगरपुर| निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 8 जनवरी को सुबह साढ़े 10 बजे एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी ईआरओ व एईआरओ को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित एजेंडा के अनुसार आवश्यक सूचना 7 जनवरी दोपहर 12 बजे तक कार्यालय को भेजें और बैठक में समय से उपस्थित रहें।